रोज़े की नीयत रात ही में करना

﴿ تبييت النية في الصوم ﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

अनुवादः **अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह**

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ تبييت النية في الصوم ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

रोज़े की नीयत रात ही से करना

प्रश्नः

क्या रमज़ान के रोज़े की नीयत रात में करना ज़रूरी है, या दिन के समय? जैसे कि अगर आप से चाश्त के समय कहा जाये कि आज का दिन रमज़ान का है, तो क्या उसकी क़ज़ा करेंगे या नहीं ?

उत्तरः

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

रमज़ान के महीने के रोज़े की नीयत रात ही में फज्र से पहले करना ज़रूरी है। और बिना नीयत किये हुए दिन के समय से उसका रोज़ा रखना किफायत नहीं करेगा (पर्याप्त नहीं होगा)। जिस आदमी को चाश्त

के समय यह पता चले कि यह दिन रमज़ान का है और वह रोज़ा की नीयत कर ले, तो उस पर सूरज डूबने तक खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य है, तथा उस पर (रमज़ान के बाद) उस दिन की क़ज़ा करना भी अनिवार्य है। इसका प्रमाण यह है कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि उन्हों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया कि आप ने फरमाया :

« من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له »

"जो व्यक्ति फज्र के पहले से ही रोज़े की नीयत न करे उसका रोज़ा नहीं है।" इसे इमाम अहमद और अस्हाबुस्सुनन (अर्थात् अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, दारमी इत्यादि), इब्ने खुज़ैमा, इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है और इन दोनों ने इसे मर्फूअन (जिस हदीस की सनद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक पहुँचे उसे मरफू' हदीस कहते हैं) सहीह क़रार दिया है।

यह फर्ज़ रोज़े के अंदर है। जहाँ तक नफ्ली रोज़े की बात है तो उसके रोज़े की नीयत दिन के समय भी करना जाइज़ है, यदि उसने फज्र के बाद खाया, या पिया, या पत्नी से संभोग नहीं किया है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से, आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस में, प्रमाणित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक दिन चाश्त के समय उनके पास आये और कहा कि **"क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ (खाने के लिए) है ?"** तो उन्हों ने कहा कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : **"तब मैं रोज़े से हूँ।"** इसे इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब 'अस्सहीह' में रिवायत किया है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ देने वाला (शक्ति का स्रोत) है। तथा अल्लाह तआला हमारे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दया और शांति अवतरित करे।

देखिये : **फतावा इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति (10/244).**